न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 242/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– बाबूराम पुत्र लखपतराम 2– लूम्बाराम पुत्र लखपतराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम मोरनावडा तहसील बावडी, जिला जोधपुर		1– रामदीन पुत्र बींजाराम 2– सीता पत्नी बस्तीराम 3– हीना सुथार एवं रेणु पुत्री बस्तीराम कुदरती वलीय नाबालिग माता सीता सुथान 4– ओमप्रकाश पुत्र बींजाराम 5– अनोपी पत्नी बींजाराम जातियान सुथार निवासीगण ग्राम मोरनावडा तहसील बावडी, जिला जोधपुर 6–जोगाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी ग्राम धनारीखुर्द तहसील बावडी जिला जोधपुर 7–ग्राम पंचायत धनारीखुर्द जरिये सरपंच 8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा राजस्व अपील संख्या 55/2019 अनवान बाबुराम बनाम रामदीन वगैरा मे दिनांक 10–12–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री दिवाकर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से।
3–श्री दीपक जेठवानी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4, 5 व 6 की ओर से।
4–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–01–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोरनावडा के नामांतरकरण संख्या 9 जिसे सरपंच ग्राम पंचायत सोयला द्वारा दिनांक 24–8–1975 को पारित किया गया, उसके विरूद्ध अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि मौजा मोरनावडा स्थित खसरा नंबर 176 रकबा 91.06 बीघा भूमि आई हुई है, जिसका तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 7–10–1969 को अपीलांटगण के पिता लखपतजी को नियमन की गई एवं उसके आधार पर यह भूमि लखपतजी के खातेदारी मे दर्ज कर दी गई जिस पर संवत 2010 से अपीलांटगण के पिता का कब्जा काश्त था तथा वर्तमान मे खसरा नंबर 176 की सम्पूर्ण 91.06 बीघा भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है ।

परंतु कुछ दिन पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नंबर 176 की 19 बीघा भूमि अपनी बताकर अन्य लोगो को बेचान की बात की गई एवं मौके पर लोग भूमि देखने भी आये परंतु खसरा नंबर 176/7 की अलग 19 बीघा भूमि मौके पर नही मिली । पटवारी

हल्का से मालुम हुआ कि खसरा नंबर 176/7 की 19 बीघा भूमि जरिये म्युटेशन संख्या 09 के प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पूर्वज बींजाराम वल्द रूपाराम वगैरा कौम सुथार साकिन मोरनावडा के नाम दर्ज हुई तथा नामांतरकरण के कॉलम संख्या 14 मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी के मु0नंबर 796/74 मे दिनांक 19–4–75 को पारित नियमन आदेश के आधार पर भरा जाना दर्शाया गया है, उक्त नियमन आदेश की प्रति के लिए अपीलांटगण ने प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर मे पेश किया परंतु उक्त नकल के आवेदन पत्र पर यह टिप्पणी अंकित कर प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया कि नियमन रेकर्ड कार्यालय मे ढूंढने पर प्राप्त नही हुआ है । अपीलांटगण के नाम बिना नियमन के नामांतरकरण संख्या 9 स्वीकृत किया गया है जिस नामांतरकरण को निरस्त करवाये जाने हेतु अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–12–2019 के द्वारा खारीज कर दी जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना मात्र अपील को परिसीमा अधिनियम से बाधित होना मानते हुए अपील का निस्तारण करने मे भारी कानूनी भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि ऐसे आदेश जो प्रारंभ से ही शून्य हो तथा एकपक्षीय रूप से पारित किया हुआ हो, उसके विरूद्ध परिसीमा अधिनियम का बिन्दु लागू नही होता है तथा परिसीमा अधिनियम की मंशा यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को विलंब के कारण न्याय से वंचित नही किया जायेगा परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांटगण की अपील को खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 9 प्रारंभ से ही एक शून्य दस्तावेज है क्योंकि खसरा नंबर 176 रकबा 91 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर अपीलांटगण के पिता लखपतराम का कब्जा काश्त सेटलमेंट से पूर्व से ही चला आ रहा था तथा अपीलांटगण के पिता के देहांत के बाद अपीलांटगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा कब्जा काश्त के आधार पर ही अपीलांटगण के पूर्वजो के नाम म्युटेशन संख्या 44 दर्ज किया गया था परंतु उक्त नामांतरकरण के बाद अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 9 गलत एवं अवैद्य रूप से पारित किया गया है जो प्रारंभ से ही शुन्य दस्तावेज होने से खारीज योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील के गुणावगुण की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 9 की केफियत मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी के मुकदमा नंबर 796/74 दिनांक 19–4–75 को पारित आदेश के अनुसार नियमन किया जाना दर्शित किया गया है जबकि वास्तविक रूप से ऐसा कोई आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया ही नही गया है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम पंचायत कार्यालय से उक्त आदेश की फोटो प्रति प्राप्त की गई जिसके अवलोकन से यह

स्पष्ट है कि आदेश नियमन कमेटी द्वारा पारित किया गया है जबकि उक्त आदेश मे प्रकरण संख्या एवं वर्ष का अंकन नही है तथा प्रश्नगत भूमि के गांव का भी उल्लेख नही किया गया है तथा कार्यालय का नाम भी अंकित नही है तथा नियमन कमेटी के समक्ष नियमन संबंधित पत्रावली संबंधित तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा नियमन क निर्णय पारित करने उपरांत उसमे अभिशंषा अंकित की जाती है तत्पश्चात प्रकरण का पत्रावली भू आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत होती है । इस प्रकार जिस नियमन की कार्यवाही का हवाला देते हुए नामांतरकरण संख्या 9 पारित किया गया है उसमे नियमन की पुष्टि होने की बजाय नियमन की कार्यवाही पूर्ण रूप से संदिग्ध जाहिर होती है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम मोरनावडा के खसरा नंबर 176 रकबा 91 बीघा 06 बिस्वा भूमि पर संवत 2010 से अपीलार्थीगण के पिता एवं उसके पश्चात अपीलांटगण स्वयं का निरंतर कब्जा काश्त होने से तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 7–10–1969 को अपीलांटगण के पिता लखपतराम के पक्ष मे उक्त सम्पूर्ण भूमि का नियमन किया गया था तो उक्त खसरे मे जब भूमि शेष ही नही रही फिर भी उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने प्रकरण संख्या 776/74 मे दिनांक 19–4–75 का उल्लेख करते हुए 19 बीघा भूमि का म्युटेशन संख्या 9 प्रत्यर्थीगण के पूर्वज के पक्ष मे दिनांक 24–8–75 को स्वीकृत कर दिया तथा शेष रहे रकबे 72 बीघा 06 बिस्वा भूमि का अमल दरामद अपीलांटगण के पिता के पक्ष मे दिनांक 20–9–78 को किया गया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि तहसीलदार ओसियां के द्वारा पारित नियमन आदेश दिनांक 7–10–69 वैद्य था, यदि वैद्य नही होता तो उक्त आदेश की अनुपालना मे अपीलार्थीगण के पिता के नाम से अमली दरामद की कार्यवाही नही की जाती तथा नियमन आदेश दिनांक 7–10–69 को किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी गई है तथा न ही उक्त नियमन आदेश को सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन किया गया है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के पिता के पक्ष मे खसरा नंबर 176 रकबा 91.06 बीघा भूमि का नियमन आदेश आज दिनांक तक प्रभावी होते हुए उक्त खसरे मे से 19 बीघा भूमि का पुनः नियमन दिनांक 19–4–75 को किये जाने का कोई न्यायोचित कारण दर्शित नही होने के बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांटगण की अपील को दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए अस्वीकार कर खारीज करने मे भारी त्रुटि कारित की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–12–89 एवं अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 9 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को न केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज की है बल्कि

प्रकरण मे गुणावगुण पर भी अध्ययन करने के बाद जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि यदि अपीलाधीन भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा किये गये नियमन आदेश दिनांक 9–4–75 से प्रभावित है तो उन्हे उक्त नियमन आदेश को चुनौती देनी चाहिये थी इसलिए जब तक नियमन आदेश 19–4–75 प्रभाव मे है तब तक अपीलांट को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे किसी प्रकार के अधिकार हासिल नही हो सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलांट के पिता लखपतराम के पक्ष मे जो म्युटेशन संख्या 44 भरा गया था उसे उक्त म्युटेशन की पुश्त पर लगे नोट दिनांक 16–4–74 के द्वारा नामंजूर कर दिया था, जिसे अपीलांट ने आज दिन तक कोई चुनौती नही दी है इसलिए भी अपीलांट की अपील खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी फलोदी के नियमन आदेश दिनांक 19–4–75 के विरूद्ध अपीलांटगण ने जिला कलेक्टर जोधपुर के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु (एलोटमेन्ट आफ लेण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपज) नियम 1970 के तहत पेश किया था उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 93/75 मु0पारूदेवी बनाम सरकार वगैरा दिनांक 22–8–78 को अदम हाजरी मे खारीज हो चुका है जिसकी पुष्टि स्वरूप आदेशिका की प्रति फार्म नंबर 3 के सलंग्न वकील रेस्पो0 ने पेश कर अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने तथा अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–12–2019 का अध्ययन किया तथा वर्तमान अपील पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस के दौरान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया । अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम मोरनाडा के नामांतरकरण संख्या 9 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी के नियमन आदेश दिनांक 19–4–75 के अनुसरण सरपंच ग्राम पंचायत सोयला द्वारा दिनांक 24–8–1975 को पारित किया गया, उसके विरूद्ध वर्ष 2019 मे लगभग 44 वर्ष विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मूल नियमन आदेश को चुनौती नही देने से तथा अपील को मयाद बाहर मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–12–2019 को खारीज कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

वर्तमान अपील पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलांट

म्युटेशन संख्या 9 जिसे सरपंच ग्राम पंचायत सोयला द्वारा दिनांक 24–8–75 को स्वीकृत किया गया है, को निरस्त करवाना चाहता है परंतु उक्त म्युटेशन संख्या 9 उपखण्ड अधिकारी फलोदी के नियमन आदेश दिनांक 19–4–75 की पालना मे स्वीकृत किया गया है परंतु अपीलांट ने उक्त नियमन आदेश को सक्षम न्यायालय मे चुनौती देकर निरस्त नही करवाया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मे दिया गया विवेचन समर्थन योग्य है ।

रेकर्ड पर उपलब्ध म्युटेशन संख्या 44 जो कि अपीलांटगण के पूर्वजो के कब्जे के आधार पर लखपत पुत्र मोटाराम के नाम पटवारी हल्का सोयला ने भर कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था, उक्त म्युटेशन की पुश्त पर लिखे गये नोट अनुसार उक्त म्युटेशन को दिनांक 16–4–74 को नामंजूर कर दिया था, जिसे अपीलांट ने अब तक किसी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी फलोदी के नियमन आदेश दिनांक 19–4–75 के विरूद्ध अपीलांटगण ने जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु (एलोटमेन्ट आफ लेण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपज) नियम 1970 के तहत पेश किया था, उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 93/75 मु0पारूदेवी बनाम सरकार वगैरा दिनांक 22–8–78 को अदम हाजरी मे खारीज हो चुका है जिसकी पुष्टि स्वरूप वकील रेस्पो0 ने आदेशिका की प्रति फार्म नंबर 3 के सलंग्न पेश की है ।

इसके अलावा म्युटेशन संख्या 9 पर पारित किये गये आदेश के विरूद्ध लगभग 44–45 वर्ष विलंब से प्रस्तुत अपील जिसमे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलंब को क्षमा करने का कोई आधार नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–12–2019 मे अपील को मयाद बाहर होने के साथ साथ गुणावगुण पर भी मूल नियमन आदेश को चुनौती नही देने के विवेचन के साथ जो अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–12–2019 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–01–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर